

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग

अधिसूचना

संख्या— 02/यो०/नियमावली(संशोधन)– 11/2011 /राँची, दिनांक—

झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 के धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं—

झारखण्ड सहकारी समितियाँ (संशोधन) नियमावली, 2012

1. संक्षिप्त "नाम और आरम्भ"

- (क) यह नियमावली झारखण्ड सहकारी समितियाँ नियमावली, (संशोधन) 2012 कही जा सकेगी।
(ख) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 1 में संशोधन :

- (क) उक्त नियमावली के नियम 1 में "बिहार" की जगह "झारखण्ड" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. झारखण्ड सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 2 में संशोधन :

- (क) उक्त नियमावली के नियम 2 (i) में "बिहार एवं उड़ीसा" के स्थान पर "झारखण्ड" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ख) उक्त नियमावली के नियम 2 (iii) में 1ली जुलाई एवं 30 जून को "1ली अप्रैल एवं 31 मार्च" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ग) उक्त नियमावली के उप नियम (ix) (क) एवं (ख) में "बिहार" को "झारखण्ड" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. झारखण्ड सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 7 में संशोधन :—

उक्त नियमावली के नियम 7 के उप नियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-नियम (4) जोड़ा जाएगा :—

"(4) इस नियमावली या किसी प्राथमिक कृषि साख सोसाईटी के उप-विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, कोई व्यक्ति, ऐसी किसी सोसाईटी का सदस्य बनने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी के समक्ष घोषणा करता है कि—

- (क) वह ऐसी सोसाईटी का सदस्य बनने की सारी शर्तों को पूरा करता है,
(ख) उसके परिवार का कोई भी सदस्य सोसाईटी का सदस्य नहीं है और
(ग) उसने ऐसी सोसाईटी के प्रबंध समिति के समक्ष सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है और उसे सदस्य नहीं बनाया गया है तो,

संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ या जिला सहकारिता पदाधिकारी, यथास्थिति, उस समिति को विचार हेतु अग्रसारित करेगा, एवं समिति 30 दिनों के अन्दर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी को कारण सहित सदस्यता अस्वीकृत करने की सूचना देगी। यदि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/जिला सहकारिता पदाधिकारी समिति के स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हों, तो वे समिति को सदस्यता के आवेदन को स्वीकृत करने एवं आवेदक को उस समिति का सदस्य के रूप में नामांकन करने हेतु आदेश दे सकेगा।

5. उक्त नियमावली के नियम 13 में संशोधन :

उक्त नियमावली के "नियम 13 में जोड़ा जाएगा "परन्तु यह कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत की सहकारी समितियों में राज्य सरकार की हिस्सा भागीदारी कुल प्रदत्त हिस्सापूंजी के पचीस प्रतिशत से अधिक की नहीं रहेगी।"

6. उक्त नियमावली के नियम 17 में संशोधन:

उक्त नियमावली के नियम 17 में जोड़ा जाएगा "परन्तु यह कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत की सहकारी समितियों की उपविधियों में संशोधन का निबंधन, निबंधक के द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।"

7. (i) उक्त नियमावली के नियम 21 (ख)(ii) में संशोधन :

उक्त नियमावली के नियम नियम 21 (ख)(ii) के बाद का द्वितीय परन्तुक विलोपित किया जाएगा।

(ii) उक्त नियमावली के नियम 21 (ख)(iii) में संशोधन :

उक्त नियमावली के नियम नियम 21 (ख)(iii) के बाद के परन्तुक को विलोपित किया जाएगा।

(iii) उक्त नियमावली के नियम 21K(2) सोसाईटी विशेष आम सभा की सूचना इसके सदस्यों को डाक प्रमाण पत्र के अन्तर्गत देगी में संशोधन :

उक्त नियमावली के नियम 21K(2) वैसी सोसाईटी, जिसका वार्षिक व्यवसाय/लेन देन गत सहकारी वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक है, अपने सदस्यों को विशेष आम सभा की सूचना स्थानीय स्पीड पोस्ट के द्वारा देगी तथा वैसी सोसाईटी जिसका गत सहकारी वर्ष में वार्षिक व्यवसाय/लेन देन 5 लाख रुपये से कम है, अपने सदस्यों को विशेष आम सभा की सूचना ढोल/डुगडुगी पिटवाकर, अथवा लाउडस्पीकर से प्रचार करा कर तथा समिति कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य उप केन्द्र, आगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नोटिश चिपका कर देगी।

8. उक्त नियमावली के नियम 30 में संशोधन :

उक्त नियमावली के नियम 30 में जोड़ा जाएगा : "परन्तु यह कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत की समितियों के अवक्रमण की तिथि से दो माह के अन्दर समिति की प्रबंधकारिणी का निर्वाचन आवश्यक होगा।"

9. उक्त नियमावली के नियम 57 में संशोधन :

उक्त नियमावली के नियम 57 (i) में जोड़ा जाएगा "परन्तु यह कि राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों का वैधानिक अंकेक्षण एवं प्रमाणीकरण नाबार्ड के द्वारा अनुमोदित सनदी लेखाकार की सूची के सनदी लेखाकार के द्वारा किया जाएगा।"

10. उक्त नियमावली के नियम 76 में संशोधन :-

उक्त नियमावली के नियम 76 में जोड़ा जाएगा "परन्तु यह कि निबंधक, रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक के पूर्व परामर्श से अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत की सहकारी समितियों के द्वारा नियमावली के किसी नियम के अनुपालन में हुई चूक, जहाँ निबंधक की पूर्व अनुमति आवश्यक है, के मामले में छूट दे सकेगा।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

₹0/-

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- 02/यो०/नियमावली(संशोधन)- 11/2011 /राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. अनुरोध है कि प्रकाशन के तुरन्त बाद इसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को भेज दी जाय।

ह०/-

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- 02/यो०/नियमावली(संशोधन)- 11/2011 2673 /राँची, दिनांक- 17/09/2012

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची, सभी प्रधान सचिव एवं सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची/मंत्री, सहकारिता, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित), झारखण्ड/सभी उप निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय राँची/उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राँची/प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य सहकारिता बैंक लि०, राँची/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झास्कोलैम्फ/झाम्फकोफेड/वेजफेड, राँची/राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, राँची/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

✓ 16.9.12
(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के सचिव।

✓ 16.9.12